सामुदायिक दावा कुलक प्रपत्र

:: अनुक्रमणिका ::

क्र.सं.	अनुक्रमणिका	किसके द्वारा तैयार किया जायेगा	पृ.सं.
1	दावा प्रारूप (ख)	दावेदार	1
2	दावा प्रारूप (ग)	दावेदार	2-4
3	दावों के सत्यापन की कार्यवाही	वन अधिकार समिति	5-6
4	पटवारी की रिपोर्ट	हल्का पटवारी	7
5	नक्शा ट्रेस	हल्का पटवारी	8
6	वन विभाग प्रतिनिधि की रिपोर्ट	वनपाल/वनरक्षक	9
7	वन अधिकार समिति अभिस्वीकृति	सचिव /अध्यक्ष समिति	10
8	ग्राम सभा का संकल्प	सचिव /अध्यक्ष समिति	11-12
9	उप खण्ड स्तर की कार्यवाही	उपखण्ड अधिकारी	13
10	जिला स्तरीय की कार्यवाही	परियोजना अधिकारी (जन जाति क्षैत्रीय विकास विभाग)	14
11	वन अधिकार पत्र		15

जनजातिय कार्य मंत्रालय

प्ररूप–ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

(नियम 2008, का नियम 11 (1) क और 11 (4) देखें)

1. दावेदार (रों) का/के नाम
   (क) एफडीएसटी समुदाय
   (ख) ओटीएफडी समुदाय
2. ग्राम
3. ग्राम पंचायत
4. तहसील / तालुका
5. जिला

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :–

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तारण, यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गोण वन उत्पादों पर अधिकार यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें।

3. सामुदायिक अधिकार
   (क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) यदि कोई हो
   (ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :
   (ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच का अधिकार यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैव व विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य और पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

प्रारूप–ख के अतिरिक्त निम्न लिखित प्रारूप–ग भी भरा जाएगा

प्ररूप–ग
सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिये)

1. ग्राम / ग्रामसभा

2. ग्राम पंचायत

3. तहसील

4. जिला

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों / अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है जिस पर हम धारा 3 (1) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढिजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लियें समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुररूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दे कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

6. खसरा / कपार्टमेंट संख्या (संख्याए) यदि कोई हो और यदि ज्ञात हो :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम

अ.

ब.

स.

(इसमें किन्ही अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबन्ध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची – नियम 13 के अनुसार।

1. बुजुर्ग साक्ष्य

2. खाता नकल

3. ट्रेसमेप

4. नजरी नक्शा

5.

6.

7.

8.

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर / अंगूठे निशान (संलग्न सूची)

आवश्यक प्रारूप – ग के साथ संलग्न करे

दिनांक ..... ग्राम ..... पंचायत .....

तहसील ..... जिला .....

विषय : सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों हेतु आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम सदस्य / पिता या पति का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रपत्र 3

वन अधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन की कार्यवाही

(नियम 12 (1) देखें)
सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिये)

दिनांक .....को वन अधिकार समिति – ग्राम .....ग्राम पंचायत .....तहसील .....जिला .....द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के नियम 12 (1) में प्रदत शक्तियों के अनुसरण में सामुदायिक वन अधिकार के प्रस्तुत दावे से सम्बन्धित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया और मौके पर स्थिति निम्नानुसार पाई गई –

1. लघु वन उपज संग्रहण एवं विपणन
2. घास का संग्रहण
3. सुखी गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण
4. वृक्षारोपण क्षेत्र को छोड़कर चराई।
5. जन संपत्ति एवं स्त्रोतों का उपयोग।
6. पूजा स्थल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु उपयोग।
7. शमशान स्थल का उपयोग।
8. सार्वजनिक रास्ते एवं पगडण्डी का उपयोग।
9. वनों का संरक्षण, संवर्द्धन, पुर्नःनिर्माण, विकास एवं व्यवस्थापन करना।
10. जैव विविधता, बौद्धिक सम्पदा व पारंपरिक ज्ञान का उपयोग।
11. अन्य पारंपरिक उपयोग।

2 साक्ष्य जो संलग्न है :

1. गाँव के बुजुर्ग का साक्ष्य।
2. हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड अनुसार वन भूमि की खाता नकल, ट्रेसमेप।

3. उपभोगिता वन भूमि एवं पड़ौसी गांव का नजरी नक्शा माप

उत्तर

पश्चिम पूर्व

दक्षिण

4. प्रस्तुत साक्ष्य एवं मौका निरीक्षण के विवेचन के आधार पर ग्रामवासी परांपरागत रूप से उक्त वन भूमि पर उल्लेखित वन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

वन अधिकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :–

प्रपत्र 4

हल्का पटवारी की रिपोर्ट

(नियम 12 (4) देखें)

ग्राम ..... पंचायत .....

तहसील ..... जिला .....

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक ..... को दावेदार ग्राम .....

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरिक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम .....

तहसील .....

जिला .....

नोट : अधिभोग की वन भूमि को नक्शा ट्रेस पर लाल स्याही से दर्शाते हुए संलग्न करें।

नक्शा ट्रेस

(नक्शा ट्रेस इस पेज पर चिपकाएं)
(नियम 12 (4) देखें)

आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम

जिसमें दावेदार समुदाय ..... ग्राम .....

द्वारा अधिभोग में ली गई वन भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम .....

तहसील .....

जिला .....

प्रपत्र 6

वन विभाग प्रतिनिधि की रिर्पोट

(नियम 12 (4) देखें)

ग्राम ..... पंचायत .....

तहसील ..... जिला .....

द्वारा अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :

1 वनखण्ड का नाम

2. कम्पार्टमेन्ट सं.

3. अधिभाग में ली जा रही वन भूमि का क्षेत्रफल

4. नजरी नक्क्षा

5. नक्क्षे में दर्शाये गये बिन्दूओं के निर्देशांक :

बिन्दु	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
अ.	उ.	पू.
ब.	उ.	पू.
स.	उ.	पू.
द.	उ.	पू.
य.	उ.	पू.

हस्ताक्षर

वनपाल / वनरक्षक

प्रपत्र 7

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति

(नियम 11 (3) देखें)

दिनांक .....

ग्राम ..... पंचायत .....

तहसील ..... जिला .....

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक ..... को दावेदार ग्राम .....

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
योग				

जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत् प्रस्ताव क्रमांक .....

"सामुहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक .....

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम .....की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम . ..... तहसील ..... जिला ..... में सामुहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई । इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :–

1 सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।

इस सभा में कुल .....ग्रामीणों में से आज ..... संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमे से कोरम की पूर्ति होती है।

2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव .....द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए "सामुहिक वन अधिकार" के दावों की जांच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई है। इस संबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है:

(अ) प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 1 निर्णय क्रमांक .....

(ब) दावे का स्वरूप :–

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्त्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन्न करने का अधिकार 3(1)(स)	——— ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.		
● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजाति	——— लागू ———		

अ. उपरोक्त ग्रामसभा द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब. दावे बाबत् परीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय :

दावेदारों के समुदाय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित "वन अधिकार" प्रदान करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाता है।

सचिव मय मुहर

अध्यक्ष मय मुहर

प्रपत्र 9

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

(नियम 6 एवं 14 देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धार 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत अधिकारों / कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवंम् 14 विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक ..... को आयोजित की गई। बैठक में ग्रामसभा द्वारा वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि दावेदार ..... ग्राम .....

तहसील .....जिला .....

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
योग				

अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार समुदाय को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंषा करती है।

उपखण्ड अधिकारी — वन विभाग का भार साधक अधिकारी — विकास अधिकारी

मनोनीत सदस्य — मनोनीत सदस्य — मनोनीत सदस्य

प्रपत्र 10

जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही

(नियम 8 (ग) देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (5) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक ..... को जिला कलेक्टर ..... की अध्यक्षता आयोजित की गई एवंम् नियम 8 (ग) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों और अभिलेखों पर विचार किया गया तथा :

दावेदार .....ग्राम .....ग्राम पंचायत .....

तहसील .....जिला .....

को निम्नानुसार सामुदायिक वन अधिकार अधिभोग करने का अनुमोदन किया जाता है / खारिज किया जाता है।

ग्राम का नाम	अधिकार का प्रकार	खसरा नं. का कुल क्षैत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षैत्रफल	प्रमाण (मात्रा)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

हस्ताक्षर

जनजाति विकास विभाग
का भार साधक अधिकारी

उप वन संरक्षक / वन
मण्डल अधिकारी

जिला कलेक्टर

उपाबंध 3

(नियम 8 (6ज) देखें)

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :
(उपाबंध के अनुसार)

2. ग्राम / ग्राम सभा

3. ग्राम पंचायत

4. तहसील/तालुका

5. जिला

6. अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी

7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप

8. शर्तें यदि कोई हो

9 निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण :

रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेन्ट सं

सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम :

1. .....

2. .....

3. .....

हम, अधोहस्ताक्षरी, ... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वनाधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में तथा उल्लिखित वन अधिकारो की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त

जिला जनजातिय कल्याण अधिकारी